बारिश में भी सफाई व्यवस्था ध्वस्त, जिम्मेदार मौन

▶ ट्रामा सेंटर और सीटी स्कैन के बगल में सड़ रहा कचरा

बड़वानी, (नवभारत)। जिला अस्पताल में मरीजों के उपचार से ज्यादा लापरवाही का इलाज होता नजर आ रहा है। जिस अस्पताल में संक्रमण रोकने के लिए स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं अस्पताल का कचरा सबसे संवेदनशील माने जाने वाले ट्रामा सेंटर और सीटीस्कैन के ठीक बगल में खुलेआम डंप किया जा रहा है।

वर्तमान में बारिश के कारण सड़ रहे कचरे से उठ रही दुर्गंध, भिनभिनाती मक्खियां और पनप रहे मच्छर साफ बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन और सफाई व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित होकर रह गई है। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान से प्रतिदिन सैकड़ों मरीज, गर्भवती महिलाएं, प्रसूताएं, नवजात शिशु, उनके परिजन और सीटी स्कैन कराने वाले गंभीर मरीज गुजरते हैं। वहीं कचरे का ढेर लगा हुआ है। हालत यह है कि अस्पताल पहुंचने वाले लोग नाक पर रूमाल रखकर निकलने को मजबूर हैं।

जिला अस्पताल परिसर में इकट्ठा कचरे के ढेर को नगर पालिका की गाइड लाइन अनुसार पृथक किया जाकर कचरे का उठाव कराया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर को भी जानकारी दी गई है।
डॉ मनोज खन्ना
सिविल सर्जन
बड़वानी

बरसात में सड़ता कचरा संक्रमण को खुला निमंत्रण दे रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नजर शायद इस ओर पड़ ही नहीं रही। जानकारों का कहना है कि अस्पताल में निकलने वाले कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के स्पष्ट नियम है, लेकिन बड़वानी जिला अस्पताल में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सवाल यह भी है कि यदि अस्पताल परिसर के भीतर ही स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हो रहा तो मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा।

बारिश के मौसम में संक्रमण का खतरा बारिश के मौसम में जब संक्रामक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आम लोगों को साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव का संदेश दिया जाता है, उसी विभाग के सबसे बड़े अस्पताल में गंदगी का ऐसा आलम पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

सबसे संवेदनशील जगह पर बना दिया कचरा घर

ट्रामा सेंटर एवं सीटी स्कैन सेंटर में प्रतिदिन गंभीर घायलों की सीटी स्कैन जांच होती है। जबकि ट्रामा सेंटर में गंभीर मरीजों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद इन्हीं दोनों इकाइयों के समीप कचरा डंप किया जाना स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी मानकों पर बड़ा सवाल है।

लम्बे समय से चल रही मनमानी

सफाई ठेकेदार की मनमानी लंबे समय से जारी है। कई बार शिकायतों के बाद भी न तो व्यवस्था में सुधार हुआ और न ही कार्रवाई हुई। इससे यह सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर ठेकेदार पर प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है। यदि समय रहते सख्ती बरती जाती तो परिसर कचरा घर में तब्दील नहीं होता।

अभय जोधपुरकर को मिला बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड

सेंधवा, (नवभारत)। हाल ही में मुंबई में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड की घोषणा हुई, जिसमें सर्व श्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत को घोषित किया गया। सर्व श्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री राजकुमार एवं यामिनी गौतम के साथ बड़वानी जिले की सेंधवा निवासी प्राचार्य अमिता मनोज जोधपुरकर के पुत्र अभय जोधपुरकर को बेस्ट मेल सिंगर का अवॉर्ड घोषित किया गया।

अभय जोधपुरकर फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीत निर्देशक एआर रहमान के शिष्य है तथा उनके संगीत निर्देशन में कई वर्षों से हिंदी, मराठी, तमिल और तेलगु फिल्मों में पार्श्व गायक का कार्य कर रहे हैं। आपको बेस्ट मेल सिंगर का अवॉर्ड फिल्म घरात गणपति के गीत के लिए मिला है। इसके पूर्व उन्हें जी सीने अवार्ड भी मिल चुका है।

उपलब्धि पर जिले के कलाकारों में हर्ष

इस उपलब्धि पर जिले के कलाकारों में हर्ष व्याप्त हैं। संगीत की प्रमुख संस्था स्वर संगम के अनिल जोशी, गुरमीत सिंह गांधी, अमजद अली खान, असगर अली नसीम, उत्सव गुप्ता, सुनीता मोरे, सुनीता शुक्ला, किशोर फड़के आदि ने बधाई दी है।

जिला अस्पताल कायाकल्प अवार्ड के लिए चयन

बड़वानी। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों अनुसार जिला चिकित्सालय का राष्ट्रीय दल ने 27 फरवरी 2026 को कायाकल्प योजनांतर्गत चिकित्सालय के समस्त वार्ड/यूनिटों का निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार निरीक्षण किया। दल में राष्ट्रीय स्तर से डॉ अभिषेक जीनवाल, डॉ शिवराज सिंह चौहान एवं नम्रता टाकले उपस्थित हुए थे। सिविल सर्जन डॉ मनोज खन्ना, आरएमओ डॉ चेतन ब्राहम्णे एवं सहायक अस्पताल प्रबंधक बादल खर्ते ने चिकित्सालय का निरीक्षण कराया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मप्र भोपाल के पत्र में कायाकल्प आवार्ड के लिए चयनित संस्थाओं की सूची जारी की गई। जिसमें जिला चिकित्सालय बड़वानी को 86.92 प्रतिशत प्रदान करते हुए प्रदेश में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है।

आज से 27 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

बड़वानी। जिले के दिव्यांगजनों के चिन्हांकन एवं परीक्षण के लिए कई स्थानों पर 20 से 27 जुलाई तक विशेष शिविरों का आयोजन होगा। सामाजिक न्याय विभाग के अनुसार एडिप योजना अंतर्गत शिविरों में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण आन द स्पाट कृत्रिम हाथ एवं पैर, राष्ट्रीय वयोश्री योजनांतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों को नि:शुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराएंगे।

टेट से राहत के लिए विधायी पहल की मांग

बड़वानी, (नवभारत)। संसद के मानसून सत्र के प्रारंभ होने के अवसर पर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रतिनिमंडल ने पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को टेट संबंधी उत्पन्न विधिक जटिलताओं से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक विधायी पहल किए जाने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीइ) की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 एवं 5 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य किए जाने के बाद देशभर में पूर्व से विधिवत नियुक्त लाखों शिक्षकों के सेवा अधिकारों को लेकर गंभीर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्तमान में टेट की ऐसी व्याख्या की जा रही है, जिससे इसका प्रभाव उन शिक्षकों पर भी डाला जा रहा है जो टेट लागू होने से पहले विधिसम्मत रूप से नियुक्त हो चुके थे। यह स्थिति प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरित है।

प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से आग्रह किया कि संसद के वर्तमान मानसून सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ एक्ट), 2009 की धारा 23(2) में आवश्यक संशोधन के लिए विधेयक या अध्यादेश लाने की पहल की जाए। साथ ही यह स्पष्ट वैधानिक प्रावधान किया जाए कि टेट केवल भावी नियुक्तियों पर ही लागू होगा तथा पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के सेवा अधिकार पूर्णत: सुरक्षित रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने अध्यापकों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में आ रही विभिन्न प्रशासनिक एवं विधिक समस्याओं पर भी सांसद से विस्तृत चर्चा की तथा शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया। सांसद ने उचित स्तर पर प्रभावी पहल करने का आश्वासन दिया।

अवैध शराब पर कार्रवाई

बड़वानी, (नवभारत)। कलेक्टर जयति सिंह के निर्देशानुसार 18 जुलाई को जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार खत्री के निर्देश पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी सेंधवा राजेश मंडलोई, सहायक जिला आबकारी अधिकारी अंजड़ अभिलाषा वर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी बल ने मुखबिर की औचक सूचना पर कार्रवाई की। जिसमें नवलपुरा नाले सेंधवा, अंजड़ वृत में नर्मदा किनारे, ठीकरी, बांदर कच्छ, दवाना, नंदगांव में 130 बीएल अवैध हाथ भट्टी मदिरा व 950 किग्रा महुआ लाहन जब्त कर 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। वहीं वृत सेंधवा के एबी रोड़ सेंधवा, गावड़ी में होटल आशीष ढाबा, आदि किराना कोल्ड्रिंग होटल, होटल आगरा ढाबा आदि जगह कार्रवाई की गई।

रोजगार मेला कल

बड़वानी। मध्यप्रदेश शासन की रोजगारोन्मुखी योजनान्तर्गत कलेक्टर जयति सिंह के मार्गदर्शन में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए 21 जुलाई को सुबह 10 बजे से पीएमश्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमानायक महाविद्यालय के परिसर में रोजगार मेले का आयोजन होगा।

जिला रोजगार अधिकारी टीएस डुडवे ने बताया कि आयोजित रोजगार मेले में जिले के निजी अस्पतालों के संचालकों द्वारा रिक्त पदों पर आवेदकों का साक्षात्कार के बाद चयन की कार्रवाई की जाएगी। इच्छुक आवेदक नियत दिनांक एवं स्थान पर अपने मूल अभिलेख, अंकसूची, आधार कार्ड, समग्र आईडी, पासपोर्ट फोटो के साथ उपस्थित हो सकते है।

धार-झाबुआ

एक नजर में

श्रद्धालय वृद्धाश्रम में गुलाब उद्यान बना

धार। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के भोज शोध संस्थान द्वारा संचालित श्रद्धालय वृद्धाश्रम में औषधि उद्यान के साथ अब गुलाब उद्यान तैयार हो गया है। संस्थान के निदेशक डॉ दीपेन्द्र शर्मा ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम प्रकल्प अंतर्गत 150 गुलाब के पौधों का उद्यान विकसित किया गया है। गुलाब उद्यान प्रकल्प में इंदौर से कमल मोदी, भूपेश शर्मा, महू से अजय कैथवास, धन्नड से तन्मयओम प्रकाश शर्मा का विशेष सहयोग व योगदान रहा। आश्रम के वृद्धजनों भागवंता बाई, कृष्णा बाई, कला बाई, तोताराम भाई, शिव आर्य, रामेश्वर पटेल, महेश पाटीदार, माखन राठौर, पूरनचंद सक्सेना तथा रानी पंवार, विद्या गुंजाल, रोशनी राठौर, भूमि व दक्षिता का सराहनीय योगदान रहा। अल्प समय में यह उद्यान विकसित हुआ है। देशी किस्म के 150 गुलाब के पौधे लगाए गए है। इनकी विशेष देखरेख तोताराम लववंशी व कला बाई द्वारा की जा रही है। यह जानकारी मीडिया प्रभारी राकी मक्कड़ ने दी।

बाणदा के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटी

बाग। आज शिक्षा का बहुत महत्व है और शिक्षित होना आज के युग में बहुत जरुरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं हे तो आपका जीवन एक नर्क के सामान है। इसलिए किसी भी हाल में अच्छी पढ़ाई करें और बेहतर शिक्षा लें, क्योंकि शिक्षा ही है जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है। बुराई से बचाती है। उक्त बात जनपद सदस्य समरथ गेहलोत ने ग्राम पंचायत बाणदा मेहड़ीया फलिए की शासकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चों को कापी पेन वितरण के दौरान बच्चों को समझाते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के प्रति हमेशा सजग हूं और भी कोई आवश्यकता हो आपको तो सर से बोलकर मुझे बोले में जहां तक होगा आपकी उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करुंगा। पर आप स्कूल रोज आए और अच्छी पढ़ाई मन लगाकर करें। आप ही देश का अगला भविष्य हो ओर हम आपके भविष्य को सुधारने में कोई कोताही नहीं करेंगे इस दौरान प्रधान अध्यापक अमरसिंह पंवार व शिक्षक सिराज खान की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्कूल में प्रधान अध्यापक की सक्रियता अच्छी बनी हुई हे शुरुआत में इतने अधिक बच्चे की संख्या वहीं बच्चों कि पढ़ाई भी अच्छी ही नजर आ रही है संस्था प्रमुख व शिक्षकों का ध्यान प्रत्येक बच्चे पर अच्छे से रहेगा और वह पढ़ाई मन लगाकर करवायेगा ओर बच्चा भी उसे मन लगाकर पड़ेगा तो जरुर निखर कर आएगा और आप ही में से कोई बच्चा उच्च पदों पर जाएगा। प्रधान अध्यापक की पंवार सर पढ़ाई के मामले के साथ स्कूल में बच्चों की देख रेख ओर उन्हें घर से स्कूल तक लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं 30 बच्चों की उपस्थिति बड़ी अच्छी संख्या है। इस दौरान नगर पत्रकार संघ के अध्यक्ष शहजाद खान भारती ने बच्चों से पढ़ाई के बारे में पुछा ओर कहा आप रोज समय पर स्कूल आए इसी के साथ पढ़ाई की अलख जागती है जब आप रोज आओगे तभी तो समझ पाओगे हमें एक दीन भी स्कूल जाया नहीं करना है। बच्चे कापी पेन पाकर बड़े प्रसन्न हुए।

झाबुआ बस स्टैंड की 13 दुकानों का विवाद बना चर्चा का विषय

नगर पालिका परिषद् का पीपीपी मोड़ का प्रस्ताव सफल होगा या नहीं ...

पेटलावद। नगर पालिका परिषद् द्वारा पिछले दिनों 6 जुलाई को विशेष सम्मेलन के माध्यम से शहर में स्थित चाचा नेहरू बालोद्यान की जमीन पर पीपीपी मोड पर कमर्शियल परिसर बनाने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के बारे में झाबुआ शहर में जनचर्चा है कि परिषद् के उक्त निर्णय से यह स्थिति बनने वाली है न माया मिली न राम, क्योंकि जो प्रस्ताव जिस जमीन के लिए किया गया है वह ग्रीन बेल्ट और बगीचे की जमीन में आती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम निवेश और शहरी विकास प्राधिकरण के शासकीय दस्तावेजों में शहर की ग्रीन बेल्ट की जमीन चिन्हित और अंकित की गई है और दर्शाई गई है, जिसके अनुसार यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। शहर में यह भी जन चर्चा है कि पीपीपी मोड वाली जमीन पर नगरपालिका झाबुआ के पास अधिकृत जमीनी दस्तावेज भी है या नहीं है।

बताया जाता है कि राजशाही के समय झाबुआ राजा के भाई बहादुरसिंह राठौर द्वारा यह जमीन चाचा नेहरू बालोद्यान के लिए दान दी गई थी, इस जमीन के पास 12 फीट का एक जीवित प्रकृति प्रदत्त नाला है। नाले के दोनों और जमीन शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निवेश विभाग के रिकॉर्ड में ग्रीन बेल्ट के रूप में अंकित है। बताया जाता है कि नगरपालिका परिषद् द्वारा बिना सोचे-समझे दूरदर्शी दृष्टिकोण को भी नजर अंदाज करते हुए आर्थिक लाभ और करोड़ों रुपए अवैध रूप से कमाने की मंशा को लेकर ताबड़तोड़ यह प्रस्ताव पार्षदों पर दबाव डालकर पारित करने का प्रयास किया गया है, जो शहर में व्यापारियों के बीच विवादित बनता जा रहा है। नगरपालिका परिषद् में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिलन पटेल की तानाशाही और मनमर्जी वाली हरकतों और कार्य पद्धति से शहर में परिषद् और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जन-आक्रोश प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शहर के सबसे बड़े व्यापारी संगठन जो जिले का भी नेतृत्व व्यापारी जगत में करता है सकल व्यापारी संघ द्वारा ऐतिहासिक रूप से शहर को 13 व्यापारियों के समर्थन में और नगरपालिका की कार्रवाई के विरुद्ध जाकर बंद करवाया गया था, उसके बाद भी नगरपालिका प्रशासन जनहित में कार्रवाई करने के बजाय जनविरोधी कार्रवाई करता जा रहा है। जिसके चलते शहर में भाजपा संगठन और सरकार की परिषद् की इस जन विरोधी हरकत के कारण छवि धूमिल होती जा रहीं है।

पूंजीपतियों का बोलबाला हो रहा

शहर में चर्चा है कि नगर पालिका परिषद् पूंजीपतियों का साथ दे रही है। इसके चलते जवाहरलाल नेहरू बालोद्यान की जमीन उनको सौंपकर उनको भी करोड़पति बनाने का प्रयास करने के साथ अपने आप को भी करोड़पति बनाने का प्रयास मात्र भर किया जा रहा है। इसमे जनहित कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगरपालिका परिषद् में स्वार्थ सिद्धि और धन पिपासा के चक्कर में 13 व्यापारियों की दुकानों को भी तोड़ा जाता है, तो इस स्थान पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन 13 दुकानों का और धर्मशाला का भी नव निर्माण नहीं किया जा सकेगा ? यह भी चर्चा है कि अधिकारियों ने 13 व्यापारियों से अवैध रूप से 5-5 लाख रुपएकी मांग की गई थी।

नशे से दूरी है जरूरी 2 .0 अभियान में छात्राओं को दिलाई शपथ

बाग। जिस प्रकार से आजकल के युवाओं में नशे का जो फेसन चल रहा है। हर कोई इसकी लत का आदि भी हो रहा है। युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर प्रदेश भर में आपरेशन 2.0 चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के अंतर्गत धार जिला पुलिस कप्तान ने भी धार जिले के समस्त थानों को निर्देश दिए की अभियान जोरों पर चलाया जाए एवं युवा छात्र छात्राओं को जागरुक किया जाए। पुलिस अधीक्षक धार के निर्देशानुसार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाग में छात्राओं को पुलिस थाना बाग स्टॉप के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित के दौरान बच्चों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा उन्हें नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई इस अभियान में 300 से अधिक छात्राएं उपस्थित रही इस दौरान सभी स्कली छात्राओं को बताया गया की नशे के विभिन्न रुप होते हैं और उसके मानसिक शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक नुकसानों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया साथ ही पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को आगाह करते हुए कहा कि आज के दौर में युवाओं विभिन्न तरीकों से नशे की और आकृषित की कोशिश की जाती हे हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। ओर एसा लगे तो ऐसे लोगों से भी दुरी बनाए मगर अपनी आदतों को ना बिगाड़े नशा बुरी चीज है, जिससे शरीर और परिवार का भी नाश होता है।

एक नजर ▶ वकीलों और अन्य अधिकारियों ने लोगों को आसान भाषा में दी जानकारी

सुरक्षित बचपन, सुरक्षित झाबुआ अभियान के तहत जागरूकता कार्यशाला

पेटलावद। सुरक्षित बचपन, सुरक्षित झाबुआ अंतर्गत बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने हेतु पाक्सो एक्ट-2012 तथा महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित, समान एवं गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने हेतु पोश एक्ट-2013 के संबंध में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन एजुकेशन कमीशन ऑफ झाबुआ डायसिस द्वारा किया गया।

कार्यशाला झाबुआ डायसिस के बिशप पीटर खराड़ी की अध्यक्षता एवं एजुकेशन सेक्रेट्री फादर सोनू वसुनिया के मार्गदर्शन में बिशप हाउस, मेघनगर में किया गया। इस अवसर पर फादर एडवीन पॉल, सह-सचिव ने उद्बोधन में बच्चों और महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।

कार्यशाला के मुख्य वक्ता चंचल भंडारी एडवोकेट एवं सदस्य न्यायपीठ बाल कल्याण समिति झाबुआ रहे। कार्यशाला के प्रथम सत्र में भंडारी ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 पाक्सो के महत्वपूर्ण प्रावधानों को सहज एवं सरल भाषा में समझाया। उन्होंने बच्चों के अधिकारों के साथ-साथ पुलिस, चिकित्सा अधिकारी, सहायक व्यक्ति आदि के बारे में भी बताया।

महिलाओं के अधिकारों की भी दी जानकारी

द्वितीय सत्र में भंडारी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम एवं नियम, 2013 (पोश एक्ट) के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, नियोक्ता के कर्तव्य, शिकायत की प्रक्रिया, शिकायतकर्ता की गोपनीयता, आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति के गठन, शिकायत की जांच तथा परिवाद के निराकरण की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। श्री भंडारी ने कहा कि हर महिला को कार्यस्थल पर सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ कार्य करने का अधिकार है। लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रत्येक संस्था में प्रभावी जागरूकता और शिकायत निवारण की व्यवस्था होना आवश्यक है।